



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052026-272636
CG-DL-E-16052026-272636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2445]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 16, 2026/वैशाख 26, 1948

No. 2445]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16, 2026/VAISAKHA 26, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2026

सं. 17 /2026-27

विषय: आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची - I (आयात नीति) के अध्याय 71 के आइटीसी (एचएस) कोड 71069221 और 71069229 के तहत चांदी की आयात नीति में संशोधन - के संबंध में।

का.आ. 2537(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची - I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत आइटीसी (एचएस) कोड 71069221 और 71069229 की आयात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है:

आइटीसी (एचएस) कोड	मद का विवरण	मौजूदा आयात नीति	मौजूदा आयात नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित आयात नीतिगत शर्त
7106	चाँदी (सोने या प्लेटिनम चट्टी हुई चाँदी सहित), अनिर्मित या अर्ध-निर्मित रूप में, अथवा पाउडर के रूप में।	-	-	-	-
710692	- अन्य: - - अर्ध-निर्मित	-	-	-	-
71069221	टिकिया: वजन के अनुसार 99.9 प्रतिशत या अधिक चाँदी	मुक्त	आरबीआई विनियमों के अधीन	प्रतिबंधित	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन
71069229	टिकिया - - - अन्य	मुक्त	आरबीआई विनियमों के अधीन	प्रतिबंधित	इस अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन

अधिसूचना का प्रभाव: आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची - I (आयात नीति) के अध्याय 71 की नीतिगत शर्त संख्या 7 के अधीन आइटीसी (एचएस) कोड 71069221 और 71069229 के अंतर्गत मदों की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से “मुक्त” से संशोधित कर “प्रतिबंधित” किया जाता है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/36/एएम-11/पीसी-2[ए]/भाग-VI/ई-34691]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं, पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2026

No. 17/2026-27

Subject: Amendment in import policy of Silvercovered under ITC (HS) codes 71069221 and 71069229 of Chapter 71 of ITC (HS), 2022, Schedule - I (Import Policy)-reg.

S.O. 2537(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy of **ITC (HS) code 71069221 and 71069229** covered under Chapter 71 of ITC (HS) 2022, Schedule - I (Import Policy) with immediate effect:

ITC(HS) Code	Item description	Existing Import Policy	Existing Import Policy Condition	Revised Import Policy	Revised Import Policy Condition
7106	Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi manufactured forms, or in powder form.	-		-	-
710692	- Other : -- Semi-manufactured	-		-	-
71069221	Bar: Containing 99.9 percent or more by weight of silver	Free	Subject to RBI Regulations.	Restricted	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter
71069229	Bar-----Other	Free	Subject to RBI Regulations.	Restricted	Subject to Policy Condition No. 7 of this Chapter

Effect of the Notification: The Import Policy of items covered under ITC HS Code 71069221 and 71069229 are revised from "**Free**" to "**Restricted**" subject to Policy Condition No. 7 of Chapter 71 of ITC (HS) 2022, Schedule - I (Import Policy) with immediate effect.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/36/AM-11/PC-2[A]/Part-VI/E-34691]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.